

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 209 (I) के अनुसार प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि -----(संगठन का नाम) ने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से इसी प्रयोजन अथवा कार्यकलाप के लिए अनुदान प्राप्त अथवा आवेदन नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

रबड की मोहर

स्थान

तारीख